प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर..... थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर..... वर्ष 2023.....
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 205 ..../2023, दिनांक 29/7/2023

2. (I) **अधिनियम**....धारायें:–7, 7ए व 11 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) **अधिनियम** .....भा0दं0सं0.....धारायें .....120बी.....
(III) **अधिनियम** ..... धारायें .....
(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** .....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** 1140 **समय** 11.00 PM.
(ब) **अपराध घटने का वार**.....रविवार.....**दिनांक** 23.07.2023 **समय** 05.30 पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 26.07.2023

4. **सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक**– लिखित

5. **घटनास्थल :– डीकेएम डायेग्नेस्टिक सेंटर के सामने, लता सिनेमा के पास, कालवाड़ रोड, जयपुर**

(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब** पश्चिम–उत्तर दिशा में करीब 13 कि0मी0

(ब) पता **डीकेएम डायेग्नेस्टिक सेंटर के सामने मुख्य सड़क, लता सिनेमा के पास, कालवाड़ रोड, जयपुर**
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना** .....**जिला** .....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :–**

(अ) **नाम:–** .....श्री नरेश कुमार बेनीवाल

(ब) **पिता/पति का नाम:–** श्री राम लाल बेनीवाल

(स) **जन्म तिथी/वर्ष वर्ष**.....उम्र 46 साल.....

(द) **राष्ट्रीयता:–** भारतीय

(य) **पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि** ....**जारी होने की जगह** .....

(र) **व्यवसाय:–** प्रोपराईटर मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, जयपुर

(ल) **पता:–** प्लॉट न0 24 शंकर कॉलोनी नया खेड़ा जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**
1–श्रीमती प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू पत्नी श्री आशीष शर्मा, उम्र 38 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर–ए–37, सत्य नगर, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, घट–प्रथम, वृत–एच, संभाग चतुर्थ, जयपुर
2– श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा उम्र 27 साल जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट न0 01, तिरुपति फ्लेट, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा जयपुर हाल मैनेजर विजय श्री गेस्ट हाउस, लता सिनेमा के पास, कालवाड रोड जयपुर
3– श्री मधुसूदन, कनिष्ठ वाणिज्यक कर अधिकारी, जयपुर
4– श्री मुकेश, वाहन चालक,
5– श्री छोटेलाल, गार्ड एवं अन्य

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)** –
.....रिश्वती राशि 6,10,000/–रूपये.....

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :–** रिश्वती राशि 6,10,000/–रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** .....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–** As per

महोदय,

दिनांक 26.07.2023 को समय 5.30 पीएम पर श्री बजंरग सिंह, अतिरिक्त पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व कार्यालय में पहले से उपस्थित दो व्यक्ति श्री नरेश कुमार बेनीवाल व कमल निरानियां से मेरा परिचय करवाया तथा बताया कि श्री नरेश कुमार की बेनीवाल स्टील्स के नाम से फर्म है जिस पर जीएसटी की टीम ने सर्च कार्यवाही की थी, जिनकी दूकान व बैंक खाता सीज नहीं करने के लिए प्रियंका शर्मा सहायक आयुक्त खण्ड प्रथम संभाग चतुर्थ जयपुर ने अपने परिचित के माध्यम से छः लाख 10 हजार रूपये स्वंय व अपने उच्च अधिकारियों के लिए प्राप्त किये तथा दो हजार ड्राईवर व एक हजार रूपये गार्ड को बतौर रिश्वत परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल से दिलवाये हैं इस संबंध में परिवादी की जीएसटी अधिकारी से हुई वार्तालाप व पैसे देने की स्वयं के मोबाईल से की गई ऑडियों व वीडियों रिकॉर्डिंग व वाटस्एप चैटिंग परिवादी के मोबाईल में मौजूद हैं। इस संबंध में परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल द्वारा पेश रिपोर्ट पर अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मन पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित कर अग्रिम कार्यवाही करने सुपुर्द किया। मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व कमल निरानियां को लेकर अपने कक्ष में आकर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि–मेरी फर्म बेनीवाल स्टील्स जो कि मुरलीपुरा जयपुर में स्थित है। उक्त फर्म पर दिनांक 6/07/23 को RGST की टीम सर्च बाबत पहले मेरे घर पर समय सुबह 11 बजे करीब पहुॅचे जिसमें प्रियंका शर्मा असिस्टेंट कमिश्नर व उनकी टीम आई व उन्होंने मेरे पूरे मकान का सर्च किया। उसके बाद समय करीब 5 बजे मुझे प्रियंका शर्मा व मधुसुधन दोनो मुझे Ist फ्लोर पर ले गये। वहॉ मुझे डराया धमकाया व मुझसे 28,00000/लाख की मांग की , इस पर मैने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन वह नही माने वह मुझे धमकाने लगे कि आपकी फर्म व आपका बैंक खाता दोनों सीज करके आपको बर्बाद कर देंगे । मैने उनके पैर पकड़ कर दुबारा निवेदन किया तो उन्होंने काफी मशक्कत के बाद 1350,000/रूप्ये में राजी हुए। इससे और कम करने के लिए मैने बार बार निवेदन किया लेकिन वे मुझसे कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने लगे व दुकान व बैंक खाता सीज करने की कार्यवाही करने लगे । तब मैने डरकर उपरोक्त राशि 1350,000 / रूपये देने की हॉ कर दी। इसके उपरांत उन्होंने मेरे हस्ताक्षर कुछ खाली व कुछ भरे हुए कागज पर लिये व वहॉ से चले गये। इसके बाद दुसरे दिन मुझे अपने आफिस पर बुलाया व कुछ कागज पर हस्ताक्षर करवा कर मुझे दुबारा आने के लिए कहा । इस पर मैं दिनांक 12/07/23 को आफिस गया वहॉ पर प्रियंका शर्मा ने मुझे 730,000/–रूपये के आसपास जुर्माना लगेगा जिसकी डिटेल मैं आपको 17/7/23 को फोन पर बता दूंगी। इसके उपरांत दिनांक 17/7/23 को उन्होंने मुझे FORM GST DRC 03 भरने के लिए रकम 727820/– रूपये की अलग अलग डिटेल फोन पर लिखवाई व मुझे जमा करवाने के लिए कहा। उक्त राशि मैने अपने बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से विभाग के पोर्टल पर जमा करवा दी । फिर मैने उनसे आफिस में जाकर आर्डर कॉपी व रसीद मांगी जिसके लिए उन्होंने मुझे बाकी पैसों के बारे में कहा के एक हजार रूपये गार्ड को व 2000/ रूपये ड्राईवर को सर्च वाले दिन दिये वह पैसे कम करके 619,000/– रूपये की व्यवस्था कर के बता दो व रसीद आर्डर शीट ले जाना। इसके बाद दिनांक 22/07/23 को उनसे फोन पर बात की व कहा कि कुछ रकम कम करो तब उन्होंने 619,000 / रूपये में से 9000/ रूपये कम करके 610,000/ रूपये की हॉ कर दी । इस पर प्रियंका शर्मा ने मेरे मोबाइल के वाट्सअप पर अक्षय नाम के व्यक्ति के मोबाइल न0 8955593012 दिये व कहा कि इससे बात करके पैसे दे देना। फिर दुबारा फोन करके मुझे 23/07/23 को पैसे देने के लिए कहा, फिर 23/07/23 को सुबह प्रियंका शर्मा का फोन आया कि इस नंबर पर बात करके पैसे देने के लिए कहा । फिर मैने उस नंबर कॉल करके पता पूछा तो उसने मुझे झोटवाड़ा लता सर्किल वाली सड़क पर बुलाया व मुझे D.K.M. Diaignogist सेंटर के बाहर सड़क पर मेरे अकांउटेंट हनुमान शर्मा व साथी कमल के सामने पॉच पॉच सौ रूपये की 12 गडडी व दस हजार अलग से कुल 610,000/ रूपये गिने, उसके बाद उसने प्रियंका शर्मा को सूचना दी फिर मैने प्रियंका शर्मा को फोन किया तो उन्होंने मुझे OK कर दिया कि पैसा मिल गया है। अब आप आफिस आकर आर्डर शीट ले जाना। फिर मै दिनांक 25/07/23 को आफिस गया वहॉ उन्होंने कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवा कर मुझे आर्डर शीट दे दी। उपरोक्त वार्तालाप की रिकार्डिंग व पैसे देते हुए का विडीयो मेरे मोबाइल मे मौजूद है जो कि मै आपको पेश कर दुंगा। इस प्रकार प्रियंका शर्मा (सहायक आयुक्त खण्ड प्रथम संभाग चतुर्थ जयपुर ने मेरे से 610,000/ रूपये अपने व अपने अधिकारियों के लिए व तथा 3 हजार मे से दो हजार रूपये ड्राईवर व एक हजार रूपये गार्ड को बतौर रिश्वत दिलवाये। अतः उक्त प्रकरण में कार्यवाही करते हुए मेरे पैसे वापसी दिलवाये जावें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ करने पर परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल ने उक्त रिपोर्ट अपने साथी श्री कमल निराणियां को स्वयं द्वारा बोल बोल कर लिखवायी जाकर स्वयं के हस्ताक्षरित होना बताते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद की। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी फर्म बेनीवाल स्टील्स की आरजीएसटी के संबंध में प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा मेरे निवास स्थान, दुकान एवं गौदाम में एक साथ सर्च कर मुझे धमकाया कि आप 28.00लाख रूपये दे दो नही तो आपकी दुकान एवं बैंकों

के खाते सीज कर देंगे, मेरे द्वारा हाथाजोडी करने पर 13.50लाख रूपये पर राजी हुए। क्योंकि उनके द्वारा मुझे बार–बार दुकान व बैंक खातों को सीज कर बर्बाद कर देने की धमकी देते हुए मेरे से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, इससे मैं एवं मेरे परिवार जन घबरा गये तथा मैं उनके द्वारा रिश्वत मांग की शिकायत तुरन्त एसीबी में नहीं कर पाया। बाद में उनके द्वारा बार–बार रिश्वत राशि के लिए फोन कर धमकाने के कारण एवं बैंक खातों को सीज किये जाने के डर से उन्होंने मेरे से दबाव में लेकर रिश्वत राशि 6.10लाख रूप्ये अपने परिचित अक्षय नामक व्यक्ति के मार्फत प्राप्त कर लिए है। मुझे उक्त परिचित का नाम अक्षय स्वयं प्रियंका शर्मा ने ही बताया था तथा उसके मोबाइल नम्बर मुझे वाट्सअप किये थे। उक्त वाट्सअप का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ मैंने उनके द्वारा बताये गये 13.50लाख रूपये में से 727820/–रू0 बतौर टैक्स बैंक के माध्यम से जमा करवाए है जिसके आधार पर कार्यालय का जारी आदेश की प्रति भी आपको पेश कर रहा हूँ। इस आदेश में डिस्पेच नम्बर एवं दिनांक अंकित नहीं थी जिसके लिए मैंने मैडम प्रियंका को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इस पर दिनांक आप डाल लो। परिवादी ने यह भी बताया कि सर्च कार्यवाही के दौरान प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त व टीम के अन्य कर्मचारियों द्वारा मेरे दुकान पर मौजूद कर्मचारियों, गौदाम पर मौजूद कर्मचारियों तथा घर पर मुझे पूछा कि आप अन्य दुकानदार/फर्म मालिकों के बारें में जानकारी ली जा रही थी कि आपके अलावा अन्य लोगों के नाम बताओं जहां इस तरह कार्यवाही की जासके। इस पर मैनें मैडम को यह भी कहा कि आपने मुझे तो बर्बाद कर दिया मैडम, मैं किसी अन्य दुकानदार का नाम क्यों बताऊ, इस पर मैडम ने कहा कि जैसे आपके पैसे लगे है, वैसे दूसरे के भी लगे। इस सम्बन्ध में मुझे हमारे घर पर हुई सर्च कार्यवाही के बाद यह भी जानकारी में आया था कि मेरे घर पर सर्च करने से पहले मैडम व उनकी टीम द्वारा मेरे पडौसी के घर पर भी ऑडिट की थी तथा उन्ही को मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर मेरे यहां कार्यवाही की गई है। चूंकि मैंने अचानक हुई सर्च एवं उनके धमकाने के कारण पूर्व में एसीबी में रिपोर्ट नहीं दे सका, अब मैं उक्त भ्रष्ट अधिकारी प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त, श्री मधुसूदन एवं प्रियंका शर्मा द्वारा बताये गये उनके परिचित अक्षय नामक व्यक्ति एवं अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही चाहता हूं। मेरी प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियो व अक्षय नामक व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई आपसी रंजिश नहीं है एवं ना ही इन लोगों में से किसी के साथ उधार लेन देन बकाया है। परिवादी से हुई पूछताछ के बाद उसे मोबाइल में रिकॉर्ड विडियों क्लिप/ऑडियों रिकॉर्डिंग के बारे में पूछने पर कहा कि मेरे पास अभी एक ही मोबाइल हैण्डसेट है जिसमें उक्त सभी विडियो/ऑडियों रिकॉर्डिंग सुरक्षित है तथा इसी मोबाइल से मेरे रिश्तेदार/परिजनों से वार्ता हो रही है इसलिए मैं अभी आपको उक्त मोबाइल हैण्डसेट नहीं दे सकता हूं। आईन्दा नया मोबाइल हैण्डसेट लेने पर इसमें से सिम निकाल कर उक्त मोबाइल सेट आपको आवश्यकता होने पर मैं पेश कर दूंगा। अभी सभी रिकॉर्डिंग मोबाइल में मौजूद है मैं उक्त रिकॉर्डिंग को मोबाइल से पैनड्राइव में लेकर आपको कल पेश कर दूंगा। परिवादी श्री नरेश कुमार के साथ उपस्थित उनके परिचित श्री कमल निराणियां से उनका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल निराणियां पुत्र श्री रामनिरंजन, उम्र 46, निवासी बी–288 शिव नगर, मुरलीपुरा ,जयपुर मोबाइल नम्बर –9672430333 होना बताया तथा प्रार्थना पत्र बाबत पूछने पर बताया कि मैं श्री नरेश कुमार जी की फर्म में स्टोर देखने का काम करता हूं। यह प्रार्थना पत्र जो नरेश जी ने पेश किया है, यह नरेश जी ने मुझे बोल बोल कर लिखवाया है, जिस पर श्री नरेश कुमार जी ने अपने हस्ताक्षर किये है। परिवादी को उसे अपना मोबाइल सुरक्षित रखने तथा मोबाइल में मौजूद विडियो/ऑडियों रिकॉर्डिंग से किसी प्रकार की छेडछाड नहीं करते हुए सुरक्षित रखने की समझाईश कर कल दिनांक 27.07.2023 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया।

दिनांक 27.07.2023 को परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल एवं उसका साथी श्री कमल निराणियां कार्यालय में उपस्थित आये एवं अपने पास से एक काले रंग का 32जीबी का सैनडिस्क कम्पनी पैनड्राइव निकाल कर पेश किया एवं बताया कि मेरे द्वारा प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा मेरे से रिश्वत राशि मांगने एवं मांग के अनुरूप बार–बार फोन कर धमकी देते हुए अपने परिचित अक्षय नामक व्यक्ति के मार्फत 6.10लाख रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त की गई, उक्त रिश्वत राशि के मांग एवं लेन देन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की गई एवं रिश्वत के लेन देन के समय श्री अक्षय नामक व्यक्ति का मेरे मोबाइल में विडियों रिकॉर्डिंग तैयार की गई, जो मेरे मोबाइल में मौजूद है। उक्त विडियों/ऑडियों रिकॉर्डिंग्स को मैंने बाजार से नया पैन ड्राइव खरीद कर उक्त पैन ड्राइव में मोबाइल से कम्प्यूटर के जरिये डाऊनलोड करवा लिया है एवं पैनड्राइव में सुरक्षित है। मोबाइल हैण्डसेट में मौजूद ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग वार्ताओं से किसी प्रकार की कोई छेडछाड या ओवरलैपिंग इत्यादि नहीं की गई है बल्कि हूबहू मोबाइल से पैनड्राइव में डाऊनलोड की गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त पैन ड्राइव को परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर चला कर देखा/सुना गया। पैनड्राइव में कुल 12 ऑडियों एवं एक विडियो रिकॉर्डिंग पायी गई। उक्त ऑडियों/विडियों रिकॉर्डिंग को बारी–बारी से परिवादी के समक्ष से चला कर देखा/सुना गया तो उक्त विडियों/ऑडियों में रिकॉर्डेड वार्ताओं को सुनने/देखने पर परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। विडियों को देखने पर उक्त विडियों में एक कार हुंडई कम्पनी की जिसमें दो–तीन व्यक्ति बाते करते हुए एवं गाडी चलती हुई तथा कुछ देर बाद गाडी रूकने पर एक बैंग नीले कलर का जिसके किनारों

पर लाल रंग की पट्टी है तथा उस पर शर्मा टीएमटी सरिया लिखा हुआ है कार के बाहर एक युवक जो करीब 30–35 साल का है तथा दाढ़ी बडी हुई है, को देते हुए दिखायी दे रहे है। उक्त बैग देने के बाद परिवादी ने इसमें रखी राशि को चैक करने की कहने पर सामने की ओर बैंग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा बैग खोलकर गिनकर कुल 12 गड्डी अर्थात् 6 लाख एवं एक 10 हजार की गड्डी को देखकर कुल 6.10लाख रूपये होने की सहमति देता हुआ एवं बातचीत करता हुआ दिखायी दिया। इस संबंध में परिवादी को पूछने पर बताया कि उक्त विडियों में बैग मेरे पास था तथा मोबाइल मेरी जेब में रखा था इसलिए मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, सामने की तरफ खडा युवक प्रियंका शर्मा का परिचित अक्षय नामक व्यक्ति है, जिसने प्रियंका शर्मा के कहने पर मेरे से 6.10लाख रूप्ये बतौर रिश्वत के प्राप्त किये है। विडियों में परिवादी ने बैंग देने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं एवं सामने खडे व्यक्ति की अक्षय के रूप मे पहचान की। इसी प्रकार पैनड्राइव में मौजूद ऑडियों रिकॉर्डिंग्स की फाईलों को बारी–बारी से सरसरी तौर पर सुना गया जिसमें संदिग्ध अधिकारी प्रियंका शर्मा को रिश्वत राशि उनके परिचित को उनके कहेनुसार सुपुर्द करने के बाद वार्ता करना, जिसमें प्रियंका शर्मा द्वारा रिश्वती राशि 6.10लाख रूप्ये अक्षय के मार्फत पहुंच जाना, राशि पूरी होने जैसी वार्ताए की गई है। चूंकि मामले में परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल से उसकी फर्म मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, मुरलीपुरा जयपुर पर दिनांक 06.07.2023 को संदिग्ध अधिकारी प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त एवं उसकी टीम द्वारा सर्च कर परिवादी को डरा धमकाकर दिनांक 23.07.2023 को कर 6.10 लाख रूपये बतौर रिश्वत अपने परिचित के माध्यम प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत पैनड्राइव में मौजूद विडियों/ऑडियों वार्ताओं की कार्यालय से दो स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार कानि0 242 एवं श्री कमलेश कुमार, कानि0 293 को तलब कर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई एवं उक्त वार्ताओं की सी.डी. डाऊनलोड कर पैनड्राइव एवं सीडीयों को सील्डमोहर किया गया तथा इस कार्यवाही की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं डाऊनलोड सी.डी. व सील्ड पैनड्राइव पृथक से तैयार कर सम्बन्धित गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल को उनके पास मौजूद मोबाइल जिनमें उक्त मूल विडियों रिकॉर्डिंग एवं ऑडियो रिकॉडिंग्स मौजूद है, को अपने पास सुरक्षित रखने, मौजूद विडियो/ऑडियों वार्ताओं से किसी प्रकार की छेडछाड नहीं करने तथा इस मामले में भविष्य में चाहे जाने पर अपना उक्त मोबाइल हैण्डसेट पेश करने सहित परिवादी व उसके साथी कमल निराणियां को उक्त मामले की गोपनीयता को बनाये रखने की समझाईश कर रूखसत किया। उपरोक्त तथ्यों से परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार बेनीवाल, प्रोपराईटर मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, मुरलीपुरा, जयपुर द्वारा दिनांक 26.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों, उक्त तथ्यों बाबत परिवादी से की गई मजीद पूछताछ, परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संदिग्ध अधिकारी के वाट्सअप मैसेज के स्क्रीनशॉट, परिवादी की फर्म का 7,27,830/–रूपये का टैक्स आदेश की प्रति, परिवादी द्वारा दिनांक 27.07.2023 प्रस्तुत पैनड्राइव में सुरक्षित 12 ऑडियों/एक विडियों रिकॉर्डिग को देख/सुनने, उक्त वार्ताओं को तैयार की गई ट्रांसक्रिप्ट एवं उक्त शिकायत पर संदिग्ध अधिकारीगणों की अपने गोपनीय रूप से की गई जानकारी से संदिग्ध अधिकारी व अन्य की आम छवि खराब होने व भ्रष्ट आचरण की होने से यह पाया गया है कि परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल की फर्म मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, मुरलीपुरा, जयपुर पर प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त, खण्ड प्रथम, संभाग चतुर्थ, राज्य कर, जयपुर ने अपने अधीनस्थ श्री मधुसूदन व टीम के सदस्यों के साथ मिलकर दिनांक 06.07.2023 को परिवादी के घर/दुकान/फर्म पर एक साथ सर्च कर परिवादी के घर व अन्य स्थानों से कागजात लेकर परिवादी से प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त एवं श्री मधुसूदन द्वारा परिवादी को उसकी फर्म के बैंकखातों एवं फर्म की दुकान को सीज कर, परिवादी को बर्बाद करने की धमकीयां देकर पहले 28.00 लाख रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा हाथाजोडी करने पर 13.50 लाख रूपये लेने पर सहमत होते हुए परिवादी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसे दुबारा बुलाना, दिनांक 12.07.23 को प्रियंका शर्मा द्वारा 7.30लाख का जुर्माना बताते हुए 727820रू0 की डिटेल भरवाकर बैंक खाते के माध्यम से राजकोष में जमा करवाते हुए शेष राशि में से सर्च के समय चालक एवं गार्ड को दी गई राशि कमशः 2000/–रू व 1000/–रू0 को कम करते हुए 6.19लाख रूप्ये बतौर रिश्वत मांग करना तथा दिनांक 22.07.2023 को परिवादी से जरिये मोबाइल फोन वार्ता करके 6.19 लाख रूपये में से 9 हजार रूपये कम करते हुए 6.10 लाख रूपये रिश्वत राशि तय करते हुए अपने परिचित व्यक्ति जिसका नाम अक्षय होना बताते हुए उसके मोबाइल नम्बर परिवादी को वाट्सअप कर दिनांक 23.07.2023 को उक्त अक्षय नामक व्यक्ति को 6.10 लाख रूपये बतौर रिश्वत दिलवाये जाकर परिवादी के वार्ता करने पर रिश्वती राशि उसके पास पहुंचने की सहमति प्रदान की जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को हालात अर्ज किये गये।

दिनांक 28.07.2023 को ब्यूरो मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों के द्वारा मामले में प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा अपने परिचित श्री अक्षय के माध्यम ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री अक्षय नामक व्यक्ति को तलब कर पूछताछ कर रिश्वती राशि प्राप्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन के निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल के कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, उम्र– 47 साल, जाति– ब्राह्मण, निवासी– 68/415, प्रताप नगर सांगानेर पुलिस थाना प्रतापनगर हाल

अतिरिक्त निजी सचिव, कार्यालय रीको लि0 मालवीय नगर जयपुर तथा श्री पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री विष्णु शरण गुप्ता, उम्र– 29 साल, जाति– वैश्य, निवासी–ए–40, सुभाष नगर, भरतपुर हाल– किरायेदार म0न0 57, माधव नगर, महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर हाल– कनिष्ठ सहायक, कार्यालय रीको लि0 मालवीय नगर जयपुर उपस्थित कार्यालय आये, जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी की शिकायत से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं उसके एवं संदिग्ध अधिकारीगणों के मध्य हुई बातचीत के तथ्यों से अवगत होकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की स्वेच्छा से मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए समय 01.25 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, श्री रमजान कानि 466, श्रीमति निधि म0का0 86, श्री पन्नालाल कानि 09, मय स्वतन्त्र गवाहान श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त निजी सचिव तथा श्री पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग, कनिष्ठ सहायक के जरिये दो वाहनो के मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एवं ट्रैपबॉक्स आवश्यक सामग्री के एसीबी कार्यालय से रवाना होकर लता सर्किल के पास डीकेएम डायग्नोस्टिक सेन्टर के पास बने विजय कॉम्पलेक्स के सामने पहुँचे। उक्त कार्यवाही में अन्य सदिंग्ध अधिकारीगण श्रीमति प्रियंका शर्मा को डिटेन करने हेतु निर्देशानुसार पूर्व से श्रीमति मीना वर्मा पुलिस निरीक्षक को रवाना किया गया था जिनके सदिंग्ध अधिकारी के कार्यालय में उसके आस–पास पहुँचने तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मुकिम रहे। समय करीब 2.40 पीएम पर श्रीमति मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने मन् निरीक्षक पुलिस को व्हाटसअप् कॉल कर बताया कि मैं प्रियंका शर्मा के कार्यालय में उनके पास पहुंच गई हूं। श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त कार्यालय मे मौजुद है, इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गाडियों से उतरकर विजय कॉम्पलेक्स में संचालित विजय श्री गेस्ट हाउस मे पहुँचकर रिसेप्शन पर पहुँचा, जहा पर लॉबी में लगी टेबिल कुर्सी में कुर्सी पर कत्थई रंग का टीशर्ट व ब्लू जिन्स पहना हुआ एक नवयुवक बैठा हुआ मिला, जिसकी ओर ईशारा कर परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल ने बताया कि यही श्री अक्षय नामक व्यक्ति है, जिसे मैनें श्रीमती प्रियंका शर्मा सहायक आयुक्त के कहने पर तथा उसके द्वारा अक्षय के मोबाईल नम्बर मुझे भेजने पर मैनें उक्त श्री अक्षय से बात कर प्रियंका शर्मा के कहे अनुसार दिनांक 23.07.2023 को 6,10,000/–रुपये की रिश्वत जिसमें पॉच–पॉच सौ रुपये की बारह गड्डी व 10,000 रुपये अलग से एक नीले रंग का बैग जिस पर टीएमटी सरिया लिखा हुआ था जिसमें रखकर श्री अक्षय को इसी बिल्डिंग के आगे मैन रोड पर दिये थे। रुपये लेने के बाद श्री अक्षय ने बैग मे रखे रुपयो को देखकर गिनकर 6,10,000/– रुपये होने की सहमति देते हुवें प्रियंका शर्मा से मोबाईल पर रुपये प्राप्त होने की सूचना दी थी इसके बाद मैनें भी मौके से ही उक्त श्री अक्षय को रुपयों का बैग देने के बारे में बताया तो श्रीमती प्रियंका शर्मा ने सहमति देते हुवे ओके कहा। उक्त लेन–देन की मौके पर मैने मौके पर वीडियो बनाया था जो मैने आपको पूर्व मे पेश कर चुका हुँ। परिवादी के उक्त कथन पर सामने कुर्सी पर बैठे नवयुवक को मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंय एवम् हमराहीयान का परिचय देते हुवे अपना नाम पुछा तो उसने अपना नाम वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा उम्र 27 साल जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट न0 01, तिरुपति फ्लेट, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा जयपुर मोबाईल नम्बर 8209331997 हाल मैनेजर विजय श्री गेस्ट हाउस, लता सिनेमा के पास, कालवाड रोड जयपुर होना बताया। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल की ओर ईशारा कर पूछा कि क्या आपने दिनांक 23.07.2023 को उक्त व्यक्ति से रुपये लिये थे तो श्री वेदप्रकाश ने परिवादी की ओर देखते हुवे कहा कि हॉ तीन–चार दिन पहले यह गाडी लेकर यहा पर मेरे से मिलने आये थे और मुझे एक बैग में रुपये दिये थे। इस पर श्री वेदप्रकाश को पुछा कि रुपये किस बात के लिये है एवम् किसके लिये प्राप्त किये है तो कहा कि मेरी दीदी आरएएस अफसर है जो मेरी बुआ की बेटी है और उसका नाम प्रियंका शर्मा है जिसको हम घर पर सोनु दीदी कहते है। उसने मुझे तीन–चार दिन पहले कहा था कि रेस्टोरेन्ट का काम है एक आदमी तेरे पास आयेगा जो कुछ सामान देगा व तेरे पास रख लेना तथा परिवादी की ओर ईशारा कर बताया कि इसके बाद उक्त व्यक्ति ने मुझे फोन करके प्रियंका शर्मा से हुई बातचीत का हवाला देते हुवे मिलने के लिये कहा तो मैने इनको मैन रोड पर बने डीकेएम डायग्नोस्टिक सेन्टर के आगे बुला लिया जहा इन्होने मुझे एक नीले रंग का बैग जिसे खोलकर देखा तो उसमें पॉच–पॉच सौ रुपये की गड्डियॉ थी जिनको गिनने पर कुल 6,10,000/– रुपये थे। श्री वेद प्रकाश शर्मा ने परिवादी श्री नरेश कुमार की ओर ईशारा कर कहा कि इन्होंने कहा था कि 6,10,000/– रुपये है गिन लो तो मैने कहा कि हॉ पुरे 6.10लाख रुपये है इसके बाद मैनें वही से खडे खडे प्रियंका शर्मा/सोनु दीदी को मोबाइल से फोन कर उक्त व्यक्ति द्वारा 6.10लाख रूप्ये देने के संबंध में बात की तो दीदी ने कहा कि ठीक है रख लो। इसके बाद इन्होंने भी दीदी को फोन कर रूपये मुझे देने के संबंध में बात की थी। मैंने उक्त रूपयों का बैग अपने पास रख लिया। इसके बाद दिनांक 26.07.2023 को सोनू दीदी ने मुझे मोबाइल पर फोन कर कहा कि मैं खातीपुरा टैम्पों स्टेण्ड पर खडी हूं, रूपये भेज दे। इस पर मैंने उक्त रूपयों का बैग अपने गेस्टहाउस के कर्मचारी के साथ भिजवाकर दीदी को सुपुर्द कर दिया था। सोनू दीदी/प्रियंका शर्मा ने रूपयो का बैग लेने के बाद मुझे वाट्सअप पर मैसेज भी किया था कि "आ गये"। श्री वेदप्रकाश शर्मा को यह पूछने पर कि रूपये किस काम

के लिए थे तो कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है कि ये रूपये सोनूदीदी ने किस बात के लिए है, मुझे तो दीदी ने फोन करके कहा था कि एक आदमी आयेगा, सामान लेकर उससे लेकर रख लेना इसलिए रिश्तेदार होने के कारण उनके कहने पर मैंने इस व्यक्ति से रूप्यो का बैंग लेकर रख लिया। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस पर श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को कहा कि क्या आप अपनी दीदी सोनू/प्रियंका शर्मा से रूपयों के बारे में बात कर सकते हो क्या तो कहा कि मैं आपके सामने ही दीदी से बात करके रूपये उनको पहुंचा देने की बात कर लूंगा। इस पर श्री वेदप्रकाश शर्मा से उसके मोबाइल फोन से श्रीमती प्रियंका शर्मा से बात करने के लिए कहा तो उसने अपने मोबाइल फोन से फोन में सोनू दीदी आरएएस के नाम से सेव नम्बर पर कॉल करवाया तो श्रीमती प्रियंका शर्मा ने फोन पर श्री वेदप्रकाश से वार्ता की। श्री वेदप्रकाश ने श्रीमती प्रियंका शर्मा को कहा कि दीदी वो पैसे पहुंच गये थे ना, तो श्रीमती प्रियंका शर्मा ने कहा कि हां आ गये, इस पर पुनः वेदप्रकाश शर्मा ने कहा कि गिन तो लिये थे ना तो प्रियंका शर्मा ने कहा कि हां....। इसके बाद फोन काट दिया। श्री वेदप्रकाश शर्मा एवं श्रीमती प्रियंका शर्मा के मध्य हुई उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करके डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए डीवीआर सुरक्षित रखा। मौके पर श्री वेदप्रकाश शर्मा ने पूछने पर परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल से श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त के कहने पर दिनांक 23.07.23 को 6.10लाख रूपये बैग में लेना स्वीकार करते हुए उक्त राशि श्रीमती प्रियंका शर्मा को उसके मांगने पर दिनांक 26.07.2023 को दिया जाना तथा इस सम्बन्ध में परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फोन पर वार्ता कर पुनः पुष्टि की गई। जिससे श्रीमती प्रियंका शर्मा के द्वारा परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल से उसकी फर्म पर दुकान व घर पर सर्च कार्यवाही कर दुकान व बैंक खाते सीज करने की धमकी देकर 6.10लाख रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की पुष्टि हुई। चूंकि परिवादी से श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय के मार्फत 6.10लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की जा चुकी है, जिसके संदिग्ध अधिकारी के घर पर मिलने की पूर्ण संभावना को देखते हुए निर्देशानुसार पूर्व से पाबन्दशुदा श्री सुरेश स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी, जयपुर को मय टीम संदिग्ध अधिकारी के आवास की तलाशी लेकर रिश्वती राशि बरामद करने हेतु कहा गया। चूंकि रिश्वती राशि प्राप्ति के संबंध में श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को वाट्सअप पर मैसेज किया जाना श्री वेदनप्रकाश ने मौके पर बताया है इसलिए श्री वेदप्रकाश का मोबाइल फोन लेकर उसमें वाट्सअप पर सोनू दीदी आरएएस के नाम से सेव कॉन्टेक्ट नम्बर का मैसेज देखने पर उसमें दिनांक 26.07.2023 को श्रीमती प्रियंका शर्मा की ओर से बुद्धवार को अंग्रेजी में "**AA Gaye Thanks** लिखा हुआ पाया गया। श्रीमती प्रियंका शर्मा की से किये गये उक्त मैसेज का श्री वेदप्रकाश शर्मा के फोन में स्क्रीन शॉट लिया गया। जिसका कार्यालय पहुंच कर प्रिन्ट करने हेतु वेदप्रकाश से प्राप्त कर सुरक्षित रखा। उक्त कार्यवाही से श्रीमती प्रियंका शर्मा सहायक आयुक्त द्वारा परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल से 6.10लाख रूप्ये की रिश्वत राशि प्राप्त करना पाए जाने से श्री वेद प्रकाश शर्मा एवं श्रीमती प्रियंका शर्मा का आमना सामना आवश्यक होने के कारण श्रीमती मीना वर्मा पुलिस निरीक्षक को श्रीमती प्रियंका शर्मा को डिटेन कर एसीबी कार्यालय लाने के निर्देश दिये तथा मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को साथ लेकर एसीबी कार्यालय पहुंचा। जहां श्रीमती मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त को पेश किया। श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को पृथक कमरे में बिठाया गया। श्रीमती मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने मामले में परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल की फर्म मैसर्स बेनीवाल स्टील्स से सम्बन्धित सर्च/पैनल्टी की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रतियां पेश की, जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। मन निरीक्षक पुलिस ने श्रीमती प्रियंका शर्मा को उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू पत्नी श्री आशीष शर्मा, उम्र 38 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर–ए–37, सत्य नगर, झोटवाड़ा, जिला जयपुर हाल सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, सर्किल–एच, झालना डूंगरी, जयपुर मोबाइल नम्बर–8696234585 होना बताया। इसके बाद श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त को मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल की ओर इशारा कर पूछा कि क्या आप इनकों जानती है और क्या आपने दिनांक 23.07.2023 को इनसे किसी प्रकार की कोई रिश्वती राशि प्राप्त की थी। इस पर श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त ने परिवादी की ओर देखकर कहा कि हां मैं इनको जानती हूं, यह नरेश कुमार जी है इनकी बेनीवाल स्टील्स के नाम से फर्म है। मैंने टीम के साथ दिनांक 06.07.2023 को सर्च की थी। सर्च के दौरान श्री बेनीवाल जी ने मुझे फर्म के खिलाफ ज्यादा पैनल्टी नहीं करने के एवज में रूपये देने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने नियमानुसार इनकी फर्म की सर्च कार्यवाही कर पैनल्टी बना कर सात लाख रूपयों से अधिक की पैनल्टी लगाई थी, जो इन्होंने विभाग में जमा करवायी थी। इसके बाद भी बेनीवाल जी ने बार–बार स्वेच्छा से रूपये देने के लिए कहा तथा अपनी मर्जी से ही इन्होंने रूपये दिये थे। मैंने पैसे देने के बाद वापस ले जाने के लिए भी कहा था लेकिन इन्होंने नहीं लिए। श्रीमती प्रियंका शर्मा के उक्त कथन पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल ने कहा कि मैडम झूंठ बोल रही है तथा परिवादी ने पूर्व में अपनी शिकायत में अंकित एवं मजीद पूछताछ पर बताए तथ्यों को दोहराते हुए आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा उसकी फर्म पर की गई सर्च कार्यवाही को

दौरान श्रीमती प्रियंका शर्मा एवं श्री मधुसूदन द्वारा फर्म की दुकान एवं बैंक खातों को सीज करने की धमकी देकर पहले 28.00लाख रूपये की मांग करना व बाद में निवेदन करने पर 13.50लाख रूपये लेने पर राजी होने, जिसमें से 727820/–रूपये पैनल्टी स्वरूप विभाग में बैंक के माध्यम से जमा करवाकर सर्च के दौरान एक हजार रूपये गार्ड को व 2000/– रूपये ड्राईवर को दिये हुए को कम करके 6,19,000/–रूपये की मांग करना व इसमें से 9000/ रूपये कम करके 6,10,000/–रूपये लेने पर सहमत होकर अपने परिचित श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय के माध्यम से दिनांक 23.07.2023 को प्राप्त करना, जिसकी मोबाइल वार्ता में स्वीकारोक्ति प्रदान करने सहित उपरोक्त वार्तालाप की रिकार्डिंग व पैसे देते हुए का विडियों स्वयं के मोबाइल मे मौजूद होना बताया। परिवादी के उक्त कथन पर श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त कुछ नहीं बोली एवं अपनी गर्दन नीचे कर ली। इसके बाद श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त से उनके मोबाइल फोन के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना मोबाइल फोन पेश किया, जिसे देखने पर मोबाइल फोन में वाट्सअप में अंग्रेजी में Akshay के नाम से 8955593012 श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय का नम्बर सेव है तथा उक्त नम्बर के वाट्सअप पर बुद्धवार दिनांक 26.07.2023 को अंग्रेजी में "AA Gaye Thanks लिखा हुआ पाया गया। इसके अलावा इसी मोबाइल में अग्रेंजी में Beniwal Naresh G के नाम से नम्बर 9672421111 सेव कर रखा है तथा इस नम्बर की वाट्सअप पर अक्षय के कॉन्टेक्ट नम्बर मैसेज किये हुए तथा दिनांक 10.07.2023 से 23.07.2023 तक मैसेज किये हुए, एसी खरीदने से संबंधित व कार्यालय में आने/नहीं संबंधी चैटिंग की हुई पायी गई। श्रीमती प्रियंका शर्मा के मोबाइल में उपरोक्त नम्बरों के कॉन्टेक्ट एवं चैटिंग के स्क्रीनशॉट प्राप्त कर प्रिन्ट प्राप्त कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल, आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त एवं श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को एक साथ बिठाकर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष रिश्वती राशि मांग कर 6.10लाख रूपये प्राप्त करने के संबंध में तीनों को आमना सामना कराया गया। जिस पर आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय के मार्फत परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल से 6.10लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना स्वीकार किया तथा श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय ने भी श्रीमती प्रियंका शर्मा के कहने पर परिवादी से राशि प्राप्त कर आरोपिया को देना स्वीकार किया। उक्त बातचीत की फर्द आमना–सामना पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं आमना–सामना के दौरान हुई बातचीत को ब्यूरो के डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। उपरोक्त कार्यवाही, परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार बेनीवाल, प्रोपराईटर मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, मुरलीपुरा, जयपुर द्वारा दिनांक 26.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों, उक्त तथ्यों बाबत परिवादी से की गई मजीद पूछताछ, परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संदिग्ध अधिकारी के वाट्सअप मैसेज के स्क्रीनशॉट, परिवादी की फर्म का 7,27,830/–रू0 का टैक्स आदेश की प्रति, परिवादी द्वारा दिनांक 27.07.2023 प्रस्तुत पैनड्राइव में सुरक्षित 12 ऑडियों/एक विडियों रिकॉर्डिंग को देख/सुनने, उक्त वार्ताओं की तैयार की गई ट्रांसक्रिप्ट, श्री वेदप्रकाश शर्मा एवं आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त के मध्य रिश्वत राशि के प्राप्ति के संबंध में हुई मोबाइल वार्ता से पाया गया कि परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल की फर्म मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, मुरलीपुरा, जयपुर पर श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त, खण्ड प्रथम, संभाग चतुर्थ, राज्य कर, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने अधीनस्थ अधिकारी श्री मधुसूदन व टीम के सदस्यों के साथ मिलकर दिनांक 06.07.2023 को परिवादी के घर/दुकान/फर्म पर एक साथ सर्च कर परिवादी के घर व अन्य स्थानों से कागजात लेकर परिवादी से प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त एवं श्री मधुसूदन द्वारा परिवादी को उसकी फर्म के बैंकखातों एवं फर्म की दुकान को सीज कर, परिवादी को बर्बाद करने की धमकीयां देकर पहले 28.00 लाख रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा हाथाजोडी करने पर 13.50 लाख रूपये लेने पर सहमत होते हुए परिवादी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसे दुबारा बुलाना, दिनांक 12.07.23 को श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा 7.30लाख का जुर्माना बताते हुए 7,27,820/–रू0 की डिटेल भरवाकर बैंक खाते के माध्यम से राजकोष में जमा करवाते हुए शेष राशि में से सर्च के समय चालक एवं गार्ड को दी गई राशि क्रमशः 2000/–रू व 1000/–रू0 को कम करते हुए 6.19लाख रूपये बतौर रिश्वत मांग करना तथा दिनांक 22.07.2023 को परिवादी से जरिये मोबाइल फोन वार्ता करके 6.19 लाख रूपये में से 9 हजार रूपये कम करते हुए 6.10 लाख रूपये रिश्वत राशि तय करते हुए अपने रिश्तेदार श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय के मार्फत दिनांक 23.07.2023 को 6.10 लाख रूपये बतौर रिश्वत दिलवाये जाकर स्वयं द्वारा प्राप्त किया जाना प्रमाणित पाया जाने पर आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू पत्नी श्री आशीष शर्मा, उम्र 38 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर–ए–37, सत्य नगर, झोटवाड़ा, जिला जयपुर हाल सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, सर्किल–एच, झालना डूंगरी, जयपुर एवं श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा उम्र 27 साल जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट न0 01, तिरुपति फ्लेट, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा जयपुर हाल मैनेजर विजय श्री गेस्ट हाउस, लता सिनेमा के पास, कालवाड रोड जयपुर एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 11 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 में प्रथम दृष्टया कारित करना पाए जाने पर दोनों आरोपीगण को जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया। दोनों की फर्द गिरफ्तारी पृथक–पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगणों को

उनकी नमूना आवाज वास्ते परीक्षण उपलब्ध करवाने हेतु कहने पर दोनों ने इन्कार किया जिसकी फर्द नमूना आवाज प्राप्ति पृथक–पृथक तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 28.07.2023 को गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त ने स्वेच्छा पूर्वक मन् निरीक्षक पुलिस को सूचना दी कि– दिनांक 23.07.2023 को श्री नरेश कुमार बेनीवाल से मैंने 6.10लाख रूपये मेरे परिचित वेदप्रकाश उर्फ अक्षय शर्मा को दिलवाये थे जो अक्षय शर्मा से दिनांक 26.07.2023 को मैंने ले लिये थे, जिनकों मैंने घर में मेरे बैडरूम में छुपा कर रखे है, जिनका मुझे ही पता है, जो मैं आपको साथ बता सकती हूँ। आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा दी गई उक्त सूचना की फर्द इत्तला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा दी गई सूचना की तस्दीक करने के लिए आरोपिया के मकान की खाना तलाशी हेतु पूर्व से घर पर मौजूद श्री सुरेश स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष वार्ता कर आरोपिया द्वारा दी गई सूचना से अवगत कराते हुए आरोपिया के बैडरूम की तलाशी नहीं लेने हेतु सूचित किया एवं मन निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपिया, गवाहान एवं स्टाफ के उसके घर पहुंचा। जहां उक्त मकान पर पूर्व से एसीबी की सर्च टीम उपस्थित मिली, जहां श्री सुरेश स्वामी, उ0पु0अ0 ने बताया कि आपके बताये जाने पर आरोपिया के बैडरूम की तलाशी नहीं ली गई। इसके बाद मन निरीक्षक पुलिस ने आरोपिया द्वारा दी गई सूचना की तस्दीक के लिए आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा के साथ मकान के अन्दर की सिढियों से प्रथम फ्लोर पर ले जाकर प्रथम फ्लोर पर बने कमरे में उसके बैडरूम में पहुंचा। जहां उक्त कमरे में प्रवेश कर श्रीमती प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू ने डबल बेड की ओर इशारा कर बताया कि मैंने जिस रिश्वत राशि के बारे में आपको इतला दी है वह मैंने इस बेड के अन्दर रखी है। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया को बेड में रखी रिश्वत राशि निकालने के लिये कहा तो आरोपिया ने उक्त डबल बेड के दाहिनी तरफ की प्लाई को उठाकर एक नीला कलर का नाईलोन का थैला जिसका बार्डर लाल रंग से सिला हुआ हैं, जिसके दोनो तरफ सफेद रंग में AN ISO 9001:2000 & 14001 CO. SHARMA SARIYA, TMT BARS, ANGLES, CHANNELS, ROUNDS,GIRDER, SHARMA TMT 500D, शर्मा **TMT** सरिया, Shri Sharma steel Tech (India) Pvt. Ltd. Jaipur छपकर लिखा हुआ हैं, को निकालकर बताया कि इसी बेग में रखकर श्री नरेश कुमार बेनीवाल ने मेरे परिचित श्री वेदप्रकाश उर्फ अक्षय को दिनांक 23.07.2023 को लता सर्कल, झोटवाडा पर यह राशि दी थी, जो श्री वेदप्रकाश उर्फ अक्षय ने दिनांक 26.07.2023 को मुझे दे दिया था। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त बैग/थेला को चैक करवाया तो उक्त बेग में 500–500 रूपये के नोटो, जो भारतीय चलन मुद्रा के नोटो की कुल 13 गड्डिया बरामद होना पाया गया। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों को गिनवाया गया तो उक्त 13 गड्डियों में से 12 गड्डियों में 500–500 रूपये के 100–100 नोट, प्रत्येक गड्डी में कुल 50,000–50,000 रूपये तथा एक गड्डी में 500–500 रूपये के 20 नोट राशि 10,000 रूपये तथा कुल राशि 6,10,000 रूपये बरामद होना पाए गए। तत्पश्चात् आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा की निशादेही से बरामदशुदा उक्त रिश्वती राशि 6,10,000/–रूपये के बण्डल अधिक होने से एक गड्डी में सीलचिट करना संभव नहीं होने के कारण उक्त राशि में से 500–500 रूपये के 400–400 नोटो की 2 गड्डी तथा 420 नोटों की एक गड्डी बनाकर कुल 3 गड्डीयों को सील चिट कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया। जिस बेग में रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त बैग प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से बैग पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर बेग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क 'B' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया। प्रकरण में आरोपिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आरोपिया की निशादेही से रिश्वत राशि बरामदगी के बाद ओर कोई बरामदगी शेष नहीं होने से मौके पर उपस्थित सर्च टीम को आरोपिया के बेडरूम की तलाशी की हिदायत की गई। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं जब्ती रिश्वती राशि मुताबिक तस्दीक इत्तला 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपिया के निवास से बरामदशुदा रिश्वती राशि का बरामदगी स्थल का मौका मुआयना का दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थान पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मय जब्तशुदा रिश्वती राशि 6.10लाख रूपये के आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा को हमराह लेकर उनके निवास स्थान से जरिये सरकारी वाहन एसीबी कार्यालय जयपुर पहुंचा। जब्तशुदा रिश्वती राशि को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया।

दिनांक 29.07.2023 को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल एवं स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आये। मामले में कार्यवाही के दौरान आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, जयपुर का मोबाइल हैण्डसेट वन–प्लस 8टी एवं आरोपी श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय का मोबाइल हैण्डसेट वन–प्लस नोड–सीई पूछताछ के दौरान प्राप्त किया जाकर सुरक्षित रखे गये थे। आरोपियान के उक्त मोबाइल हैण्डसेटों में परिवादी श्री नरेश बेनीवाल से रिश्वती राशि मांग कर श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय को दिलवाये जाने के लिए वाट्सअप मैसेज कर

नम्बर भेजने, अन्य चैटिंग तथा रिश्वती राशि लेने के बाद प्राप्त होने की सहमति संबंधी मैसेज किये जाना पाया गया है। आरोपियान के उक्त दोनों मोबाइल हैण्डसेट में रिश्वती राशि मांग एवं प्राप्ति के संबंध में महत्वपूर्ण मैसेज/चैटिंग होने से उक्त डाटा को आईन्दा एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाकर प्राप्त करने के लिए वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दोनों मोबाइल फोन को पृथक–पृथक कपडे की थैलियों में सिलकर सील्डमोहर कर मार्क अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा इस कार्यवाही की फर्द जब्ती मोबाइल फोन पृथक–पृथक तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे द्वारा शिकायत के पश्चात् दिनांक 27.07.2023 को मेरे मोबाइल में मौजूद प्रियंका शर्मा एवं वेदप्रकाश शर्मा की रिकॉर्ड विडियो/ऑडियों वार्ताओं को मोबाइल से पैनड्राइव में डाऊनलोड करके पैनड्राइव आपको पेश किया था तब उस समय मेरे पास अन्य मोबाइल हैण्डसेट नहीं होने से मोबाइल फोन आपको पेश नहीं किया था। आपने नये मोबाइल हैण्डसेट की व्यवस्था कर उक्त मोबाइल में मौजूद विडियो/ऑडियों रिकॉर्डडिंग एवं वाट्सअप चैटिंग की अनुसंधान में आवश्यकता होने से सुरक्षित रखने के लिए कहा था। अब मैंने नया मोबाइल हैण्डसेट खरीद लिया है तथा इस मोबाइल में लगी मेरी सिम निकाल ली है। परिवादी को दोनों गवाहान के समक्ष पूछने पर यह भी बताया कि मैंने इसमें मौजूद विडियों/ऑडियों रिकॉर्डिंग एवं वाट्सअप चैटिंग में किसी प्रकार की छेडछाड़ नहीं की है एवं मूल रूप से मोबाइल में सुरक्षित मौजूद है। मैं आपको उक्त मोबाइल हैण्डसेट जो सैमसंग गैलेक्सी ए–31 है, वो पेश कर रहा हूं। चूंकि इस मामले में परिवादी द्वारा अपने मोबाइल फोन में मौजूद विडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग व वाट्सअप चैटिंग मैसेट का प्रिन्ट पूर्व में पेश किया गया है तथा मूल विडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग्स व मैसेट मोबाइल में मौजूद है, जिनका अनुसंधान में आवश्यकता है। इसलिए मोबाइल में मौजूद उक्त विडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग्स व मैसेज का अवलोकन कर उक्त मौबाइल हैण्डसेट को जब्त कर मोबाइल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी एवं जब्ती मोबाइल फोन पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मामले में दौराने कार्यवाही दिनांक 28.07.2023 को आरोपी श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय से हुई पूछताछ के दौरान रिश्वती राशि प्राप्त कर आरोपिया को पहुंचाने के संबंध में श्री वेदप्रकाश शर्मा एवं श्रीमती प्रियंका शर्मा की मोबाइल पर आपस में वार्ता करवाकर उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही दिनांक 28.07.2023 दोनो आरोपीगण एवं परिवादी को आमना–सामना करवाया जाकर रिश्वती राशि के संबंध में आपस में हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया गया था जो विभागीय डीवीआर में मौजूद है। उक्त रिकॉर्डेड वार्ताओं को दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष बारी–बारी से सुना जाकर इनकी पृथक–पृथक ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये पृथक–पृथक पांच–पांच सी.डी. डाउनलोड कर मूल मेमोरी कार्ड को जब्त किया जाकर सभी सी.डी. एवं मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त कार्यवाही की पृथक–पृथक फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सीडी डाउनलोड एवं जब्ती मेमोरी कार्ड तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही में परिवादी द्वारा आरोपीगणों से हुई विभिन्न मोबाइल वार्ताओ की ऑडियो एवं रिश्वती राशि लेनदेन का विडियो का प्रस्तुत पैनड्राइव, उक्त वार्ताओं की तैयार सील्डशुदा सी.डी. पैकेट, आरोपिया के निवास से बरामदशुदा रिश्वती राशि 6.10लाख रूपये, दौराने कार्यवाही आरोपियों की मोबाइल पर हुई वार्ता एवं आमना–सामान की वार्ता की सील्डशुदा सी.डी. पैकेट व जब्तशुदा मेमोरी कार्ड, दोनों आरोपीगणों के सील्डशुदा मोबाईल हैण्डसेट एवं परिवादी का मोबाइल हैण्डसेट सील्डशुदा वजह सबूत माल को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया।

परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अब तक की कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों के अलावा आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त के अलावा परिवादी की दुकान/गौदाम एवं निवास स्थान पर की गई सर्च कार्यवाही के दौरान उनके अधीनस्थ श्री मधुसूदन, जेसीटीओ, श्री मुकेश चालक एवं श्री छोटेलाल गार्ड द्वारा भी रिश्वती राशि की मांग की जाकर चालक एवं गार्ड द्वारा क्रमशः 2000/– एवं 1000रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के साक्ष्य कार्यवाही के दौरान प्रकट हुए है। उक्त श्री मधुसूदन, जेसीटीओ, चालक एवं गार्ड तथा सर्च कार्यवाही में मौजूद अन्य अधिकारी/कर्मचारियों से रिश्वती राशि मांग एवं प्राप्त किये जाने के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल द्वारा दिनांक 26.07.2023 को ब्यूरो में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई दरियाफ्त, दिनांक 27.07.2023 को पेश पैनड्राइव में मौजूद विडियो/ऑडियों रिकॉर्डिंग्स की ट्रांसस्क्रिप्ट, मौबाइल में मौजूद वाट्सअप चैटिंग एवं तदनुसार उस पर की गई कार्यवाही आरोपी वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय से दौराने पूछताछ आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा से रिश्वत राशि प्राप्ति के संबंध में की गई मोबाइल वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट, दोनों आरोपियों के मोबाइल में मौजूद वाट्सअप चैटिंग, आरोपीगण एवं परिवादी की फर्द आमना–सामना में आरोपीगणों द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त किये जाने की स्वीकारोक्ति एवं तदनुसार आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा दी गई इत्तला पर उसके निवास स्थान से परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 6.10लाख रूपये की

बरामदगी से पाया गया है कि आरोपिया श्रीमती प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू पत्नी श्री आशीष शर्मा, उम्र 38 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर–ए–37, सत्य नगर, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, घट–प्रथम, वृत–एच, संभाग चतुर्थ, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी श्री नरेश कुमार बेनीवाल की फर्म मैसर्स बेनीवाल स्टील्स, जयपुर की दुकान, गौदाम एवं परिवादी के निवास स्थान पर दिनांक 06.07.2023 को अपने अधीनस्थ श्री मधुसूदन, कनिष्ट वाणिज्यक कर अधिकारी, श्री मुकेश, चालक एवं श्री छोटेलाल, गार्ड व टीम के सदस्यों के साथ मिलकर एक साथ सर्च कर परिवादी के घर व अन्य स्थानों से कागजात लेकर परिवादी से प्रियंका शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ श्री मधुसूदन के साथ मिलकर आपसी षड़यंत्र रचकर परिवादी को उसकी फर्म के बैंकखातों एवं फर्म की दुकान को सीज कर, परिवादी को बर्बाद करने की धमकीयां देकर पहले 28.00 लाख रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना, परिवादी द्वारा हाथाजोडी करने पर 13.50 लाख रूपये लेने पर सहमत होते हुए परिवादी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसे दुबारा बुलाना, दिनांक 12.07.23 को श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा 7. 30 लाख का जुर्माना बताते हुए 7,27,820/–रू0 की डिटेल भरवाकर बैंक खाते के माध्यम से राजकोष में जमा करवाते हुए शेष राशि में से सर्च के समय चालक एवं गार्ड को दिलवाई गई राशि क्रमशः 2000/–रू व 1000/–रू0 को कम करते हुए 6.19लाख रूपये बतौर रिश्वत मांग करना तथा दिनांक 22.07.2023 को परिवादी से जरिये मोबाइल फोन वार्ता करके 6.19 लाख रूपये में से 9 हजार रूपये कम करते हुए राशि 6.10 लाख रूपये रिश्वत राशि लेना तय करते हुए अपने रिश्तेदार श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा उम्र 27 साल जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट न0 01, तिरुपति फ्लेट, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा जयपुर हाल मैनेजर विजय श्री गेस्ट हाउस, लता सिनेमा के पास, कालवाड रोड जयपुर के मार्फत दिनांक 23.07.2023 को 6.10 लाख रूपये बतौर रिश्वत दिलवाये जाकर स्वयं द्वारा दिनांक 26.07.2023 को श्री वेद प्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय से प्राप्त कर अपने घर के बैडरूम में रख लेना, जहां से रिश्वती राशि 6.10लाख रूपये दौराने कार्यवाही बरामद होना प्रमाणित पाया गया है। आरोपिया 1–श्रीमती प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, सर्किल–एच, झालाना डूंगरी, जयपुर एवं 2–श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय (प्राइवेट व्यक्ति) मैनेजर विजय श्री गेस्ट हाउस, लता सिनेमा के पास, कालवाड रोड जयपुर, 3– श्री मधुसूदन, कनिष्ठ वाणिज्यक कर अधिकारी, 4– श्री मुकेश, वाहन चालक, 5– श्री छोटेलाल, गार्ड एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 11 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी भा0द0सं0 में प्रथम दृष्टया कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

29/07/2023

(सज्जन्न कुमार)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपिया 1-श्रीमती प्रियंका शर्मा उर्फ सोनू सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, सर्किल-एच, झालाना डूंगरी, जयपुर, 2-श्री वेदप्रकाश शर्मा उर्फ अक्षय पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा(प्राइवेट व्यक्ति) मैनेजर, विजय श्री गेस्ट हाउस, लता सिनेमा के पास, कालवाड़ रोड़ जयपुर, 3-श्री मधुसूदन, कनिष्ठ वाणिज्यक कर अधिकारी, 4-श्री मुकेश, वाहन चालक, 5-श्री छोटेलाल, गार्ड एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 205/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.7.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः-2452-56 दिनांक 29.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

29.7.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।